कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला पन्ना म0प्र0

क्रमांक /   /निर्वाचन/2018   पन्ना दिनांक

//टेन्ट, शामियाना निविदा सूचना//

आगामी विधानसभा निर्वाचन 2018 एवं लोकसभा निर्वाचन 2019 के संचालन के दौरान जिले की तीनों विधानसभाओं से संबंधित विषयांकित कार्य हेतु इच्छुक संस्था/व्यक्ति से टेन्ट, शामियाना कार्य के लिये निविदायें दिनांक 31 अगस्त 2018 को अपरान्ह 3.00 बजे तक निम्नांकित शर्तो पर आमंत्रित की जातीं हैं जो उसी दिन सायंकाल 4.00 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जावेगीं ।

निविदा की शर्तें:-

1. निविदा सील बंद लिफाफें मे प्रस्तुत की जावेगी। प्रथम लिफाफे मे धरोहर राशि रुपये 20,000=00 (बीस हजार) का राष्ट्रीय बचत पत्र/बैक ड्राफ्ट रखकर उसमें धरोहर राशि लिखा जायेगा। द्वितीय लिफाफे मे निविदा प्रपत्र रखा जावे। प्रथम लिफाफे के सत्यापन के बाद ही द्वितीय लिफाफा ओपन किया जावेगा।
2. सफल निविदाकार को रू0 500-00 का स्टाम्प प्रस्तुत कर अनुबंध करना होगा ।
3. निविदा मे प्रति वस्तु प्रति दिन 24 घण्टे की दर से पृथक-पृथक किराया अंकित किया जावे।
4. निविदा सामग्री आवश्यकता के अनुसार स्वीकृति दर पर प्रदाय करने हेतु निविदाकार बाध्य होगा। सामग्री की मांग का आदेश प्राप्त होने पर सामग्री समयावधि मे निर्दिष्ट स्थान पर उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व निविदाकार का होगा।
5. निविदा मे स्वीकृति सामग्री निर्धारित दर पर उपलब्ध कराना होगा। जिसका सत्यापन कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग से कराया जयेगा।
6. निविदाकार को आयकर का पेन नम्बर/टिन नम्बर आवेदन के साथ प्रस्तुत करना होगा।
7. निविदाकार को लगाई गई ड्यूटी संबंधित अधिकारी के निर्देशो का पालन करना अनिवार्य होगा।
8. निविदा स्वीकृत होने के बाद यदि निविदादाता द्वारा कार्य नहीं किया गया या बीच में कार्य छोड़ा गया तो उनके बाद वाले निविदादाता से कार्य कराया जायेगा तथा धरोहर राशि राजसात कर ली जावेगी ।
9. निविदादाता का देयक परीक्षण एवं आडिट/अनुमोदन उपरांत स्वीकृत करते हुए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी म0प्र0भोपाल द्वारा प्रदत्त आबंटन के अनुसार भुगतान किया जायेगा जिसमें किसी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा । भुगतान करते समय शासन नियमों के अनुसार समस्त प्रकार के करों की कटौती की जावेगी।
10. निविदादाता किसी भी संस्था/कार्यालय से ब्लेक लिस्टेड नहीं होना चाहिये । यदि बाद में यह जानकारी मिलती है कि निविदादाता ने तथ्य छिपाया है उसकी राशि राजसात कर ली जावेगी ।
11. निविदादाता श्रम विभाग में दुकान स्थापना के अन्तर्गत जीवित पंजीयनधारी होना चाहिये ।

12. निविदादाता का GST मे पंजीयन होना चाहिये।
13. निविदा स्वीकृत करते समय निविदादाता के कार्यानुभव का महत्व दिया जायेगा इसमें यदि किसी अन्य से निविदा दरों में कोई अंतर भी रहता है तो कार्यानुभव एवं निविदादाता की वित्तीय स्थिति की सुदृढ़ता को प्राथमिकता दी जावेगी ।
14. निविदा इस कार्यालय द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर स्वीकार्य होगी।
15. कलेक्टर द्वारा लिये गये निर्णय के विरुद्ध किसी भी न्यायालय मे वाद नही लाया जा सकेगा।
16. किसी भी वाद विवाद में कलेक्टर पन्ना का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा ।
17. निविदा स्वीकृति/अस्वीकृति करने का पूर्ण अधिकार कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी पन्ना को रहेगा जिसके लिये किसी भी प्रकार के औचित्य एवं कारण बताने की आवश्यकता नही होगी।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी
जिला पन्ना म0प्र0

पृ0क्रमांक/ 687 /निर्वाचन/2018 पन्ना दिनांक 03/08/2018

प्रतिलिपि–

1. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी म0प्र0भोपाल
2. आयुक्त सागर संभाग सागर
3. आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय म0प्र0भोपाल की ओर प्रदेश के समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन हेतु प्रेषित ।
4. समस्त कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मध्यप्रदेश
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत पन्ना
6. समस्त अनुविभागीय अधिकारी रा0 जिला पन्ना
7. समस्त तहसीलदार जिला पन्ना
8. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत जिला पन्ना
9. समस्त मुख्य नगरपालिका अधिकारी जिला पन्ना
10. समस्त सचिव कृषि उपज मण्डी समिति जिला पन्ना
    क्रमांक 5 से 10 की ओर भेजकर लेख है कि उक्त सूचना अपने कार्यालय के नोटिसबोर्ड पर आमजनता के लिये चस्पा करायें ।
11. सहायक संचालक जनसंपर्क जिला पन्ना

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी
जिला पन्ना म0प्र0